न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–उज्जैन

1– मांगीलाल पुत्र श्री काशीराम
2– जगजीत पुत्र श्री विजय सिंह
3– जगन्नाथ पुत्र श्री सावंत
4– हमीर पुत्र श्री नत्थू
5– राजाराम पुत्र श्री सावंत
6– किशोर सिंह पुत्र श्री सावंत
7– कान्तीलाल पुत्र श्री देवी सिंह
निवासीगण–ग्राम बगोदा तहसील तराना जिला उज्जैन (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला उज्जैन (म.प्र.)
2– महंत डॉ0 प्रकाशानन्द भारती पुजारी तिलभाण्डे श्वर महादेव मंदिर तराना जिला – उज्जैन (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार तराना जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ–68/2010–15 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तराना का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तराना द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश पारित किया है। वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, आवेदकगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 32 भू–राजस्व संहिता का आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया था। कि अनावेदक क्रमांक 2 तिलकेश्वर महादेव मंदिर अर्थात् तिलभाण्डेश्वर महादेव मंदिर तराना के तथा कथित पुजारी प्रकाशानन्द भारती के द्वारा लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में विवादित भूमि को निजी मंदिर की भूमि बताकर कलेक्टर महोदय से कब्जा प्राप्त कराने की प्रार्थना की है। जिसके संबंध में आवेदक की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी एवं बताया

XXIX(a)-BR(H)-11

(393)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1708-पीबीआर/16 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-01-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	